प्रेस नोट–116 / 2026
दिनांक 26.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की प्रयागराज इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 26.02.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की प्रयागराज इकाई** द्वारा श्री अभय राज यादव निवासी ग्राम लाई आनापुर थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज से दाखिल 67ए(1) राजस्व संहिता 2006 में आख्या लगाने एवं मकान निर्माण को न रोकने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री अलाउद्दीन अंसारी के नेतृत्व में शिवाशूज हब शिवपुर मलाक, लखनऊ रोड़ प्रयागराज के पास से **राजस्व विभाग** के **1-राजशेखर सिंह (लेखपाल क्षेत्र मलाक हरहर तहसील सोरांव)** निवासी उमर गहना थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर, हालपता 40के/100के न्यायनगर कन्धईपुर प्रयागराज **2-जूही मिश्रा (लेखपाल क्षेत्र टिकरी तहसील सोरांव)** निवासी लक्ष्मणपुर थाना टांडा जनपद अम्बेडकरनगर, हालपता न्यायनगर धूमनगंज प्रयागराज को **01 लाख रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट–117/2026

दिनांक 26.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बागपत/थाना सिंघावली अहीर

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 26.02.2026 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नगला रवा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त भरत को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना सिंघावली अहीर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–भरत निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

जनपद जौनपुर/थाना मुगराबादशाहपुर

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 26.02.2026 को थाना मुगराबादशाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कृष्णा कोल्ड स्टोरेज सतहरिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना अलीगंज जनपद चन्दौली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मुगराबादशाहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू निवासी सतहरिया थाना मुगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद सहारनपुर/थाना फतेहपुर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 02 लाख 80 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 25/26.02.2026 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गंगाली मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शुभम घायल हो गया, जिसे अभियुक्त अंकित सहित गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 02 लाख 80 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना फतेहपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शुभम निवासी ग्राम लडवा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

2–अंकित निवासी ग्राम चम्पावास थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–लूट के 02 लाख 80 हजार रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद बरेली/थाना शाही

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 03 लाख 320 रूपये नगद**
- **लगभग 08 लाख रूपये कीमत की सोने के 49 ग्राम की टिक्की**
- **01 लाख 25 हजार रूपये कीमत की चांदी के 446 ग्राम की ईंट**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 25.02.2026 की रात्रि थाना शाही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बीएसएनएल चौराहे के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–इमरान घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–तौफीक 3–अमन सहित गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल बिक्री के 03 लाख 320 रूपये नगद, लगभग 08 लाख रूपये कीमत की सोने के 49 ग्राम की टिक्की, 01 लाख 25 हजार रूपये कीमत की चांदी के 446 ग्राम की ईंट, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 05/06.02.2026 को थाना शाही क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना शाही पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, सोना–चाँदी चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त इमरान के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग एवं अभियुक्त तौफीक के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना शाही पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इमरान निवासी मो0 आजमनगर कस्बा व थाना शाही जनपद बरेली।

2–तौफीक निवासी ग्राम बसई थाना शाही जनपद बरेली।

3–अमन निवासी मो0 सुभाषनगर कस्बा व थाना शाही जनपद बरेली।

बरामदगी

1–चोरी के माल बिक्री के 03 लाख 320 रूपये नगद।

2–लगभग 08 लाख रूपये कीमत की सोने के 49 ग्राम की टिक्की।

3–01 लाख 25 हजार रूपये कीमत की चांदी के 446 ग्राम की ईंट।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

5–01 मोटर साइकिल आदि।

- **जनपद एटा/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मनोज को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हापुड़/थाना हापुड़ देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 33 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/364/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शानू उर्फ शान मोहम्मद को आजीवन कारावास व 33 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद औरैया/थाना दिबियापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 35 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना दिबियापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/452 व 376(3) भादवि सपठित धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जितेन्द्र को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 35 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट वाराणसी/थाना रामनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय वाराणसी द्वारा थाना रामनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 137(2)/87 बीएनएस व 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त संगम कुमार को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।